बलूचिस्तान स्वतंत्रता पत्र

प्रस्ताव

बलूच लोगों की पैतृक मातृभूमि को बलूचिस्तान कहा जाता है, फिर भी आज बलूच अपने ही देश के स्वामी नही रहे. उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के साम्राज्यवादी युद्ध ने ही नही विपत्तिपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने भी बलूचिस्तान के प्राकृतिक विकास को विकृत किया है और बलूच लोगों को अपने भविष्य का निर्धारण करने से रोका है.

बलूचिस्तान के इतिहास में एक निर्णायक समय तब आया जब सन 1666 में विभिन्न बलूच संघों को एकीकृत किया गया और एक एकल राष्ट्रीय बलूच राज्य के तहत लाया गया. राष्ट्रीय एकता के इस क्षण से बलूच राष्ट्र ने अपने पड़ोसियों के साथ पारस्परिक राजनयिक संबंधों को स्थापित करना शुरू किया.

बलूचिस्तान की ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक सीमाएँ अठारहवीं शताब्दी (1749-1794) मे बलूच राजनीतिक नेता और शासक मीर नसीर खान बलूच द्वारा खींची गईं उन्हे नूरी नसीर खान के नाम से भी जाना जाता था.

ब्रिटिश साम्राज्य ने 13 नवंबर 1839 को बलूचिस्तान पर आक्रमण किया. बलूचिस्तान को 'फूट डालो और राज करो' की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के परिणामस्वरूप बाद में तीन भागों में विभाजित किया गया. 1871 में एक मनमानी रेखा खींचकर जिसे गोल्डस्मिड रेखा कहा जाता है, बलूचिस्तान का पश्चिमी हिस्सा क़ज़र राजवंश को दिया गया था. एक दूसरा विभाजन, डूरंड रेखा, वर्ष 1893 में तैयार की गई थी, इसके रेखा से, बलूचिस्तान का उत्तरी भाग अफगानिस्तान को दिया गया था. ये राष्ट्रीय विभाजन बलूचियों की सहमति, रुचि और भलाई के खिलाफ किया गया था.

काज़ार राजवंश द्वारा पश्चिमी बलूचिस्तान पर कब्ज़ा अपेक्षाकृत बहुत कम समय तक ही था. बीसवी सदी के पहले दशक के दौरान काज़ार राजवंश ने बलूचिस्तान पर अपना प्रभुत्व खो दिया था. सन. 1916 में अंग्रेजों ने खुले तौर पर बलूच राजनीतिक नेताओं को मान्यता दी और उन्हे पश्चिमी बलूचिस्तान के प्रभावी शासकों के रूप मे स्वीकार भी किया. सन 1928 में रेजा खान के नेतृत्व वाली फ़ारसी सेना ने एक बार फिर आक्रमण किया और पश्चिमी बलूचिस्तान को अपने नियंत्रण मे कर लिया.

फिर भी बलूचि अपनी राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहे. अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नीतिगत राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में हुआ. बलूच लोगों के संघर्षपूर्ण विद्रोह के कारण 11 अगस्त 1947 को पूर्वी बलूचिस्तान से अंग्रेज भाग खड़े हुए और बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया. बलूचिस्तान की आजादी की खबर की घोषणा नई दिल्ली में 12 अगस्त 1947 को की गई और द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खास रिपोर्ट भी उसी दिन प्रकाशित हुई. सर्वसम्मति से 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित एक सत्र मे बलूचिस्तान की निचली सभा ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा को मंज़ूरी दी, जिसे बलूचिस्तान की उच्च सभा ने भी 2- 4 जनवरी 1948 मे आयोजित अपने सत्र मे पूर्ण समर्थन दिया.

14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कृत्रिम इस्लामिक राज्य बनाया गया था. यह नया पाकिस्तान निर्माण के दिन से ही बलूचिस्तान की संप्रभुता के लिए एक वास्तविक खतरा बना हुआ है. पाकिस्तान बनने के आठ महीने के भीतर ही बलूचिस्तान के संप्रभु राज्य पर 27 मार्च 1948 को बलपूर्वक कब्जा पाकिस्तान द्वारा कर लिया गया.

यह व्यवसाय लोगों की स्वतंत्रता और स्व-शासन के अधिकार के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत धारणाओं के विरुद्ध चलता आ रहा है. इन अधिकारों की मान्यता, और कब्जे का अन्याय, अब बलूच जनता को दमनकारी शक्तियों के खिलाफ एकजुट अभियान में शामिल कर रही है. उनका लोकतांत्रिक संघर्ष गति पकड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर आ चुका है. प्रत्येक बीतते दिन के साथ बलूचिस्तान की जनता अपने जन्मसिद्ध अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है.

सामूहिक रूप से अब बलूच समझने लगे हैं कि यह अतिक्रमण और उत्पीड़न अब उनके अस्तित्व को खतरा है और उनके प्रिय राष्ट्र के व्यवस्थित विलुप्त होने के कारण भी हैं. वे जानते हैं की अगर इस अतिक्रमण पर कोई ठोस वॉर नही किया गया तो बलूचों को तुच्छ साबित कर उन्हे अपने ही पैत्रिक भूमि मे अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाएगा.

विदेशी कब्जे वाले राज्यों के वर्चस्व के तहत, बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था, समाज और इसके राजनीतिक, शैक्षणिक और कानूनी संस्थान बहुत बुरी तरीके से अविकसित बने हुए हैं. नव-औपनिवेशिक शासकों ने बलूचिस्तान पर अपनी विश्वदृष्टि थोपते हुए बलूचि पीढ़ियों की संचित पैठ और ज्ञान को त्याग दिया है. इसी कारण से बलूचिस्तान की संस्कृति, भाषा, साहित्य, मीडिया, संगीत, कला और नैतिक और सामाजिक मूल्यों को एक गहरी ठेस पहुँची है.

इस अतिक्रमण एवं उत्पीड़न ने शाशकों को बलूचियों के साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया, इसी कारणवश आजतक बलूचिस्तान एक स्वतंत्र नागरिक समाज नही बन पाया. यही कारणों की वजह से शाशकीय ताकातों ने आज बलूचिस्तान एक बड़ी फ़ौजी छावनी और अनगिनत राज्य जेलों की भूमि मे बदल डालने मे सफलता प्राप्त की है. इस प्रक्रिया में बलूचिस्तान को आज आयातित जिहादियों, धार्मिक कट्टरपंथियों और बेईमान राज्य समर्थित लुटेरों के खेल के मैदान में बदल दिया गया है. आक्रमण करने वाले राज्य पूरी ताकत के साथ अपनी नाजायज़ और निरंकुश शक्ति का प्रयोग बलूचियों पर करते हैं, और जिसे चाहे उसे परेशन करते हैं. वे गिरफ्तार करते हैं, गोली मारते हैं, कैद करते हैं, यातनाएं देते हैं और बेरहमी से मार डालते हैं.

पीड़ितों में बलूच समाज के सबसे शिक्षित, कर्तव्यनिष्ठ और गतिशील सदस्य शामिल हैं. पीड़ितों में बलूच छात्र, कवि, मजदूर, किसान, दुकानदार, लेखक, संगीतकार, डॉक्टर, धर्म प्रचारक, शिक्षक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनायक शामिल हैं. शाशकों ने बर्बरता ढहाने मे बलूचिस्तान के वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को भी नहीं बख्शा है. कई बलूच पीड़ित जो गायब हुए फिर कभी नही मिले, इन पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के पास कोई अन्य रास्ता नही बचता और वे अपना पूरा जीवन दुःख, भय और पीड़ा की स्थिति में निकाल देते हैं.

इस आतंक के कब्जे के बीच भी बलूच लोगों की परंपराएं बनी हुई हैं जो कुछ धुँधला सी हो गई हैं तो कुछ समय के साथ छुपा दी गयी हैं. बलूच सामाजिक और नैतिक मूल्यों की विशिष्ट विशेषताएं हैं की वे धर्मनिरपेक्षता, संयम, खुलेपन, उदारवाद, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण स्वभाव को प्रमुखता देते हैं. बलूच राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो विविध विचारों और विश्वासों की अनुमति देता है और उनका सम्मान भी करता है. जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की पवित्रता बलूच परंपराओं के सर्वोपरि लक्षण हैं - वहीं राज्य शाशकों द्वारा दी गयी मृत्यु दंड बलूच नैतिक और राजनीतिक नियमों के खिलाफ है. संक्षेप में, बलूच लोगों के पास एक जीवंत नागरिक, लोकतांत्रिक और खुले समाज में विकसित होने के लिए आवश्यक सभी विशेषताएं और मूल्य हैं.

बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और दुनिया के सबसे रणनीतिक स्थानों में से एक में स्थित है. यह एक गलियारा है जो सुदूर पूर्व और दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व और मध्य एशिया से जोड़ता है. बलूचिस्तान उपरोक्त विशाल समृद्ध क्षेत्रों के बीच माल ढुलाई एवं आदान-प्रदान के लिए एक बड़े गोदाम के रूप में कार्य

कर सकता है. बलूचिस्तान के तट पर मौजूद अनगिनत बंदरगाहों से इन क्षेत्रों और उनसे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नयी उचाईयाँ प्राप्त हो सकती है. इसके अलावा इस तट का उपयोग समुद्री मछलियों के पालन के लिए भी किया जा सकता है. बलूचिस्तान की व्यापक और उरवरक भूमि का उपयोग खेती, कृषि और विनिर्माण के लिए किया जा सकता है. इस देश का वातावरण सौर, पवन और समुद्री ऊर्जा के व्यवसायों के लिए भी उपयुक्त है. अधिकांश आर्थिक संकेतक और आँकड़े बताते हैं की बलूचिस्तान का विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है. अपनी आर्थिक क्षमता की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी आबादी के कारण बलूचिस्तान को बहुत अमीर क्षेत्रों की संभावित श्रेणी में रखा गया है. अगर एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार बने, तो बलूचिस्तान को क्षेत्र में सबसे आधुनिक, समृद्ध और लोकतांत्रिक देशों में परिवर्तित किया जा सकता है. बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्रों और इसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के कारण, बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था तेज़ी से नये आयाम हासिल कर सकती है.

बलूचिस्तान पर अवैध कब्जे ने बलूचिस्तान के आर्थिक विकास में मुख्य बाधा के रूप में काम किया है, अगर बलूचि इस अवैध कब्जे के शिकार ना होते तो आज यह देश बहुत पहले आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी विकास के क्षेत्र मे पड़ोसी देशों को आसानी से पीछे छोड़ चुका होता.

बलूच लोगों का यह अधिकार है की वे किसी भी अवैध कब्जे और बाहरी अधीनता से मुक्त होकर अपने स्वयं के भाग्य, अपने वर्तमान और भविष्य की भलाई और समृद्धि का निर्धारण करें. एक बुद्धिजीवी और निष्पक्ष दिमाग वाला बलूच नेता कभी भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन दासता की गुलामी नही करेगा. बलूचिस्तान के हर व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि में द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में माने जाने का अपमान सहन किया है.

बलूच अब मुक्त होने और अपने लोगों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करने के दृढ़ संकल्प में एकजुट है और चाहते हैं की स्वतंत्र राष्ट्रों के समुदाय में शामिल होने का उन्हे सम्मान प्राप्त हो. पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने से, और एक लोकतांत्रिक बलूचिस्तान की बहाली से ही बलूचिस्तान में प्रत्येक नागरिक को पूर्ण अधिकारों की गारंटी दी जा सकती है. यह घोषणापत्र एक दिशा दिखाता है जो हमें हमारे राष्ट्र और हमारी मातृभूमि के लिए इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम करेगा.

मुक्ति, लोकतंत्र और न्याय

भाग I

मौलिक अधिकार

अनुच्छेद: 1-
चूंकि बलूचिस्तान अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है; एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए मुक्ति संघर्ष कानूनी और न्यायसंगत है.

अनुच्छेद: 2-
बलूच राष्ट्रीय संघर्ष जीवन के अधिकार के सबसे बुनियादी सिद्धांतों की खोज के लिए है, संरक्षण, स्व-संरक्षण और समाज के सभी सदस्यों के लिए समान अधिकारों के सिद्धांत को बनाना इसका उद्देश्य है.

अनुच्छेद: 3-
बलूच राष्ट्रीय संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक प्रधानता के लिए एक साधन के रूप में है जो एक अंत को रूप में लाने वाला है, इस आधार पर यह सभी व्यक्तियों को समान बनाता है.

अनुच्छेद: 4-
बलूच राष्ट्रीय संघर्ष एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है जो धर्म को राज्य और राजनीति से अलग करने के लिए चल रहा है, यह तर्क की शक्ति के लिए और किसी भी धार्मिक और वैचारिक हठधर्मिता के विरोध में है.

अनुच्छेद: 5-
इस संघर्ष से बलूचिस्तान के नागरिकों को मौलिक अधिकारों जैसे धर्म, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, प्रत्येक बलूच व्यक्ति को किसी भी धर्म या अपरंपरागत विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है बशर्ते कि ऐसा करने में वे अपने धर्म और विश्वास को किसी अन्य व्यक्ति पर न थोपें और इसके विपरीत अन्य लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी ना करे.

अनुच्छेद: 6-
बलूच लोकतांत्रिक आंदोलन सही मायनों मे स्वाधीनता और स्वतंत्रता हेतु है. यह इस तथ्य को पहचानता है और उसकी सराहना करता है कि मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं होती. यह इस मूल्यवान मानव गुणवत्ता को मानवता के सबसे मौलिक विशेषताओं में से एक मानता है. मानव स्वभाव का यह गुण स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति का सार है. हम इस मानवीय विशेषता की कद्र करते हैं और इसे एक खुले और मुक्त समाज में पनपने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं. कल्पना की विशेषता लोगों के अस्तित्व से अविभाज्य है. अन्धा कट्टरवाद, अपने सभी रूपों में, जो किसी भी दमनकारी माध्यम से, मानव कल्पना और चिंतन को प्रतिबंधित करता है, मानव स्वभाव और संरचना के विपरीत है और उनके जन्म के अधिकारों के खिलाफ है. इसलिए, बलूच लोकतांत्रिक संघर्ष अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में स्वतंत्र कल्पना, सोच और अभिव्यक्ति के अधिकार को रखता है.
अनुच्छेद: 7-
ये मानव कल्पना के अनंत क्षितिज, धारणा, समाज,मानायताओं में विविधता का प्रोत्शाहन करता है। स्वतंत्रता का उल्लघंन बलोचिस्तान की नागरिकों की सोच और अभिव्यक्त करने की नैतिक अधिकारों के विपरीत होगा।

अनुच्छेद: 8-
पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता बलूचिस्तान लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों में से एक है. स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बलूचिस्तान में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कानून के तहत सभी अधिकारों, सुरक्षा और स्वतंत्रता मे दोनो बराबर के हकदार होंगे. यह समानता समाज के सभी क्षेत्रों में, नागरिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों में होगी.

भाग II
समावेशी तरीके द्वारा संघर्ष

अनुच्छेद: 9-
एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बलूचिस्तान के लिए बलूच राष्ट्रीय संघर्ष समावेशी है, यह बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाहर के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए है, इनमें सभी स्वतंत्रता प्रेमी पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, चाहे उनकी राजनीतिक अनुनय, जातीय पृष्ठभूमि या वैचारिक और धार्मिक विश्वास जो भी हो.

अनुच्छेद: 10-
स्वतंत्रता के लिए बलूच संघर्ष, संघर्ष के तरीकों का एक पिटारा है, यह बलूच और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किसी भी समर्थन को महत्व देता है, ताकि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बलूचिस्तान हासिल किया जा सके. संघर्ष कई अलग अलग सुरतों में स्वतंत्र पार्टी राजनीति, संगठित संघ और मजदूर यूनियन, छात्र संघ, महिला

संघ, लेखक संघ, वकील संघ, पत्रकार संघ, किसान संघ द्वारा कई मुहीमों द्वारा संचालित होगा. इसमें दबाव समूह भी शामिल होंगे; जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविद, शाशकों द्वारा पीड़ित परिवार, परमाणु-विरोधी प्रचारकों, युद्ध विरोधी प्रचारकों और सविनय अवज्ञा, और आत्मरक्षा में कार्यरत सभी संघर्ष के रूप शामिल है.

अनुच्छेद: 11-
कब्जे वाले राज्यों की छद्म संसद में भाग लेना इस घोषणा पत्र की भावना के विपरीत है, नियंत्रण के इन औपनिवेशिक साधनों में भाग लेने से स्वतंत्रता प्राप्त करने के हमारे संघर्ष में बाधा होगी. इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन जो इस घोषणापत्र को मंजूरी देता है, वह पाकिस्तानी और ईरानी बनावटी संसदीय प्रणालियों में भाग नहीं ले सकता है.

अनुच्छेद: 12-
बलूच स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष के सभी रूप अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मापदंडों के भीतर होंगे.

भाग III

राजनीतिक प्रणाली की विरासत

अनुच्छेद: 13-
बलूच मुक्ति संघर्ष का प्रमुख और मूल उद्देश्य ही है की बलूच राष्ट्र की नियति-निर्माण को बलूच लोगों के हाथों मे सौंपा जा सके.

अनुच्छेद: 14-
राजनीतिक व्यवस्था की कानूनी और नैतिक वैधता जो बलूचिस्तान को नियंत्रित करती है, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक आम चुनावों में बलूचिस्तान के मुक्त लोगों के फैसलों से उपजी है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्वतंत्र निकायों द्वारा निगरानी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा देखी गयी है.

अनुच्छेद: 15-
किसी भी राजनीतिक प्रणाली की बलूचिस्तान में नैतिक वैधता और सच्चाई नहीं है जब तक यह राज्य अवैध कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता. बलूचिस्तान में प्रतिनिधि लोकतंत्र और जनता की संप्रभुता की तभी कानूनी वैधता होगी जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग लोगों द्वारा किया जाता है और बलूच लोगों के द्वारा बना हो.

अनुच्छेद: 16-
सत्ता पर कब्जा करके तय की गई राजनीतिक शक्ति संरचना हमेशा नकारी जाएगी और बलूचिस्तान के नागरिकों की संप्रभु इच्छा के खिलाफ होगी होगी. ऐसी दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अयोग्य है.

अनुच्छेद: 17-
अधीनता के तहत लोकतंत्र के प्रत्यक्ष विरोधाभास को केवल अवैध कब्जे के जुए से अधीन राष्ट्र की मुक्ति के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के लिए लोकतंत्र, न्याय और सम्मान तब तक एक सपना ही रहेगा जब तक बलूचिस्तान वर्तमान औपनिवेशिक भू-राजनीतिक सीमाओं और नियमों के आधीन है.

अनुच्छेद: 18-
नागरिक और राजनीतिक अधिकार केवल एक ऐसे राष्ट्र में ही मायने रखते हैं जो अवैध रूप से कब्जे में ना हों और जहां उसके नागरिक लोकतांत्रिक होने की आकांक्षा रखते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के राजनीतिक अधिकार के अधीन हैं, जिसे बाहर से नहीं लगाया गया हो.

अनुच्छेद: 19-
ऐतिहासिक अन्याय और शोषण को पूरी तरह से भुलाया व बहाल नहीं किया जा सकता है, सरकार की कोई भी प्रणाली उन सभी अन्याय को दूर नहीं कर सकती है जो एक राष्ट्र ने अतीत में अनुभव किए हैं. लेकिन एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली जो स्वतंत्रता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, समान अवसर और आर्थिक दक्षता के सिद्धांतों पर काम करती है, एक ऐसी प्रणाली है जो बलूचिस्तान में व्यवहार्य और संचालन योग्य है.

भाग IV

अर्थपूर्ण लोकतंत्र और शन्तिव्यवस्था

अनुच्छेद: 20-
एक सार्थक आवश्यकता जो एक मजबूत लोकतंत्र की गारंटी देने के लिए वो है एक लोकतांत्रिक वातावरण का प्रावधान उस राज्य मे हो, इसका तात्पर्य अन्य कारकों से भी है जैसे एक स्वतंत्र पत्रकारिता और प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधानसभाएं और संघ, आर्थिक अवसर में समानता, पर्याप्त शिक्षा और बहुदलीय राजनीति. जहां समाज, संस्कृति, राजनीति, कानून, नैतिकता, भाषा, अर्थव्यवस्था और देश के वातावरण को औपनिवेशिक शत्रुतापूर्ण सत्ता के लिए बंदी बनाया गया हो वहां एक सार्थक लोकतंत्र लागू नहीं किया जा सकता है. इन आवश्यक बिंदुओं की अनुपस्थिति में लोकतंत्र नाममात्र का रह जाता है और इसका उपयोग सैन्य कब्जे के आधिपत्य को छिपाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है.

अनुच्छेद: 21-
कब्जे वाले राज्यों की हिरासत मे सभी बलूच राजनीतिक कैदियों को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए.

अनुच्छेद: 22-
बलूचिस्तान संघर्ष में गायब सभी व्यक्तियों के अस्तित्व की जांच करने और ऐसे अपराधों के सभी अपराधियों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की देखरेख में एक समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है.

अनुच्छेद: 23- <u>संघर्ष समाधान</u>

- (क)- चूंकि बलूचिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, इसलिए सभी बाहरी कब्जा करने वाली ताकतों को बिना शर्त बलूचिस्तान की भूमि से बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा यह सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की वैधानिक और नैतिक ज़िम्मेदारी होगी की वे बलूचिस्तान मे हस्तक्षेप कर अवैधानिक कब्ज़े का ख़त्म करें.
- (ख)-सभी बाहरी ताकतें जिसने बलूचिस्तान पर कब्जा किया है उनको बाहर निकालने के बाद अंतराष्ट्रीय संस्थाएं बलूचिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बलूचिस्तान की मदद करें ताकि वहां राजनीतिक और क़ानूनी संस्थाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके.

- (ग)- बलूचिस्तान की अंतरिम सरकार २४ माह के अंदर चुनाव कराएगी और चुने हुए राजनीतिक प्रतिनिधियों को राजनैतिक सत्ता का हस्तांतरण करेगी.

अनुच्छेद: 24-
सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यमों तथा मानवाधिकार संस्थाओं तथा मदद करने वाली संस्थाओं को बलूचिस्तान के सभी क्षेत्रों मे अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति दी जाए.

अनुच्छेद: 25-
शशत्र स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अधिग्रहित किए गये क्षेत्र मे चतुर्थ जिनीवा समझौते मे उल्लेखित किए गये सभी नियमों का पूर्णतः अमल मे लाया किया जाए.

भाग V

संवैधानिक कानून और न्याय

अनुच्छेद: 26-
बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान तैयार करेगा और उसे अपनाएगा.

अनुच्छेद: 27-
स्वतंत्र बलूचिस्तान में तानाशाही राजनीतिक प्रणालियों के सभी स्वरूपों को जो किसी भी नाम से मौजूद हैं, पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया जाएगा.

अनुच्छेद: 28-
बलूचिस्तान राजनीतिक प्रणाली को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक गणतांत्रिक सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांतों पर रखा जाएगा. इन सिद्धांतों का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा कि बलूचिस्तान के स्वतंत्र राज्य को किसी भी प्रकार की तानाशाही और अप्रतिनिधिक राजनीतिक व्यवस्था से बचाया जाए.

अनुच्छेद: 29-
बलूचिस्तान के क़ानून के केंद्र मे नागरिक समानता को प्रधानता दी जाएगी. इस क़ानून के अनुसार किसी को भी कानून की अनुमति के बिना नागरिक की स्वतंत्रता, गोपनीयता और संपत्ति में हस्तक्षेप या अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी.

अनुच्छेद: 30-
बलूचिस्तान मे नागरिक स्वतंत्रता और क़ानूनी स्वतंत्रता के बिना किसी प्रकार की स्वच्छंदता, निष्पक्षता, शांति और व्यवस्था की बाहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संभव नही होगी. बलूचिस्तान में न्याय के उचित संचालन के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी. न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रशासन की निगरानी करने और संतुलन तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है. यह निरंकुशता, अत्याचार, दुर्व्यवहार और अन्याय को टाल देगा और कानून के भीतर स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा.

अनुच्छेद: 31-
न्याय और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए बलूचिस्तान में कानून की अदालतें बिना किसी भेद भाव के और निष्पक्ष रूप से संचालित होंगी.

अनुच्छेद: 32-
एक लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान यह प्रमुखता से महत्वपूर्ण है की निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को संभाले रखना है और उसकी रक्षा करनी है. गैरकानूनी गतिविधि मे संलिप्त आरोपी सभी को एक स्वतंत्र और न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष सुनवाई दी जाएगी. निर्दोषता के अनुमान का सिद्धांत सभी आरोपियों पर लागू होता है. सभी आरोपियों को बचाव के लिए न्यूनतम गारंटी प्रदान की जाएगी. प्रत्येक अभियुक्त एक उच्च न्यायाधिकरण द्वारा अपने मामले जो निचली अदालत मे है की समीक्षा के अधिकार का हकदार है.

अनुच्छेद: 33-
निष्पक्ष न्यायपालिका से बलूचिस्तान में एक न्याय प्रणाली की नींव शामिल होगी. इसके पहले नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के मुक़दमे में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए. एक सटीक और न्यायिक निर्णय तभी आ सकता है जब न्यायाधीश निष्पक्ष हो, निष्पक्ष न्याय का दूसरा नियम यह कहता है कि हर किसी को अपने स्वयं के बचाव में पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए. यह निष्पक्ष न्याय के विपरीत होगा यदि अभियुक्त को उसकी अपनी रक्षा में सुनवाई के अवसर से वंचित किया जा रहा है.

अनुच्छेद: 34-
बलूचिस्तान में प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी अधिकारों के साथ संरक्षित किया जाएगा. कानून उन सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा प्रदान करेगा जिनके द्वारा कानून के भीतर कार्रवाई की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है. संरक्षण के इन क्षेत्रों में अधिकार शामिल होंगे :-

(क) आत्म रक्षा

(ख) हमले के लिए अभियोजन या नागरिक कार्रवाई.

(ग) गलत गिरफ्तारी और झूठे कारावास के खिलाफ मे कार्रवाई का अधिकार.

(घ) यदि गिरफ्तार किया गया हो तो जमानत का अधिकार और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार.

अनुच्छेद: 35-
जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का सबसे मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता है, फांसी, यातना या किसी अन्य प्रकार के मानवीय या अमानवीय व्यवहार से जीवन का मनमाना अभाव मानवता और बलूच नैतिक संहिता और मूल्यों की भावना के विपरीत है. ये कार्रवाई बलूचिस्तान गणराज्य के तहत बिल्कुल और स्पष्ट रूप से निषिद्ध होगी.

भाग VI

भेदभाव के खिलाफ और समान अवसर के लिए

अनुच्छेद: 36-

स्वतंत्र गणतांत्रिक बलूचिस्तान भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नही करेगा और अडिग रुख अपनाएगा और इसे हर स्तर पर मिटाने का हर संभव प्रयास करेगा.

अनुच्छेद: 37-
एक जिम्मेदार राज्य तंत्र को सुचारू रूप से चलाने और कर्तव्यपरायणता से कार्य करने के लिए, संस्थानों के कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह निकाय के गठन की आवश्यकता होती है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सिविल सेवकों को उनकी योग्यता के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा से नियुक्त किया जाएगा. इसके उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों को गैर-राजनीतिक और तटस्थ रहना होगा. यह कार्यवाही चुनी हुई सरकारों को निष्पक्षता तथा न्यायोचित ढंग से कार्य करने मे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है.

अनुच्छेद: 38-
स्वतंत्र बलूचिस्तान मे लिंग, पृष्ठभूमि, विश्वास, उम्र और नैतिकता के आधार पर किसी भी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का समर्थन किया जाएगा. बलूचिस्तान में सभी जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को क़ानूनन समान अधिकार होंगे, जैसा कि बाकी की आबादी को अपने विश्वासों का पालन करने और अपनी भाषाओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए होता है

अनुच्छेद: 39-
स्वतंत्र बलूचिस्तान मे समान अवसर के सिद्धांतों के अनुसार कार्य संचालित होगा जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सुरक्षा सभी के पहुंच और अधिकार में होगी. समान अवसरों का कार्यान्वयन एक खुले, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाएगा. प्रशासन पारिवारिक संबंधों, भाई-भतीजावाद और एहसान से परे व्यक्तिगत योग्यता के सिद्धांतों पर कार्य करेगा.

अनुच्छेद: 40-
बलूचिस्तान मे सर्व शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, तथा १६ वर्ष की आयु तक सभी के लिए मुफ़्त शिक्षा अनिवार्य होगी. बलूचिस्तान सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बच्चों के लिए एक सार्थक शैक्षणिक प्रणाली उपलब्ध हो जो सुलभ, उपयुक्त और सर्वथा अनुकूल रहे.विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक गरिमा के सम्मान को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा, क्षमता तथा क्षमता के पूर्ण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी.

भाग VII

स्वतंत्रता के पश्चात

अनुच्छेद: 41-
स्वतंत्र बलूचिस्तान एक गैरफौजी, खुला, सहिष्णु और लोकतांत्रिक समाज होगा, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को क़ानूनन समान माना जाएगा.

अनुच्छेद: 42-
बलूचिस्तान राज्य प्रशासन मानवाधिकारों, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन पर आधारित होगा. यह लोकतांत्रिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, जिसमें मुक्त, बहु-पक्षीय चुनाव, विरोध और बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस का अधिकार शामिल है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों में संजोया गया है।

अनुच्छेद: 43-
बिना खुले और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के बिना बलूचिस्तान में किसी भी सरकार को वैध और लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा. किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्च शक्ति अंततः बलूचिस्तान की जनता के हाथों में होगी. मतदाता ही गुप्त मतदान के द्वारा राजनीतिक संप्रभुता की वैधता तय करेगा

अनुच्छेद: 44-
स्वतंत्र बलूचिस्तान मे मुख्य उद्देश्य एक संवैधानिक संसदीय राजनीतिक प्रणाली को स्थापित करना है. एक राजनीतिक प्रणाली जो स्वतंत्र राजनैतिक दलों के साथ एक स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करेगी, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगी.

अनुच्छेद: 45-
बलूचिस्तान संसद (बलूचिस्तान मॅज़्नीन दीवान) बलूच राष्ट्र की सर्वोच्च लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति होगी. सभी संसद सदस्यों का चुनाव एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होगा. बलूचिस्तान की संसद सभी नागरिकों की प्रतिनिधि संस्था होगी.

अनुच्छेद: 46-
बलूचिस्तान संसद सच्चाई, न्याय, सम्मान और विश्वास का शिखर दर्शाएगी. यह बलूचिस्तान संसद वह सर्वोच्च संस्थान होगा जो बलूचिस्तान के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और उनकी रक्षा करेगा. यह संसद किसी भी तरह के अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक किले के रूप में कार्य करेगा.

अनुच्छेद: 47-
कार्यपालिका, प्रधान मंत्री और मंत्रियों का दल, प्रशासनिक सेवा के साथ मिलकर, बलूचिस्तान राज्य की ओर से काम करेंगे. ये सभी राज्य अधिकारी अपने कार्यों के लिए बलूचिस्तान की संसद (बलूचिस्तान मज़ानीन दीवान) और अंततः बलूचिस्तान के लोगों के लिए जवाबदेह होंगे.

अनुच्छेद: 48-
एक सफल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को एक सरकार से एक नवगठित निर्वाचित सरकार को संक्रमण के प्रभावी और स्थिर चैनल की आवश्यकता है, बलूचिस्तान में एक सरकार का दूसरे में एक स्थिर संक्रमण सक्षम करने वाले तत्व होंगे:-

(**क**) राष्ट्रीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी सरकार बनाएगी.

(**ख**) निर्वाचित संसद अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा करेगी; किसी संवैधानिक कार्यकाल को पूरा करने से पहले किसी भी कारण से निर्वाचित संसद का विघटन अंतरिम संविधान के तहत अवैध होगा, सिवाय तब जब इसके निर्वाचित सांसदों में से दो-तिहाई बहुमत चाहता हो कि राष्ट्रीय सभा का विघटन किया जाए.

(**ग**) निर्वाचित संसद को देश के प्रमुख द्वारा अपने संवैधानिक कार्यकाल को पूरा करने के बाद फिर से चुनाव के लिए भंग कर दिया जाएगा. इस लेख के सभी भागों को पूरी तरह से बलूचिस्तान के अंतरिम संविधान में वर्णित किया जाएगा.

अनुच्छेद: 49-

बलूचिस्तान राष्ट्रीय सेना का गठन सरमाचरण (सशस्त्र बलूच मुक्ति संगठनों) के विभिन्न समूहों को समाहित करके किया जाएगा. बलूचिस्तान की राष्ट्रीय सेना निर्वाचित संसद के अधीन अंग होगी. बलूचिस्तान राष्ट्रीय सेना के अधिकारों और जनादेश को संसद के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा. बलूचिस्तान की सेना न्यायपालिका, संसद तथा संचार माध्यमों के प्रति उत्तरदायी होगी. सेना का प्रमुख कर्तव्य बलूचिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा करना होगी. बलूचिस्तान सशस्त्र बलों के सदस्यों को सेवा में बने रहने के दौरान राजनीति, वाणिज्यिक और अन्य रोजगार गतिविधियों में शामिल होने मे प्रतिबंधित रहेंगे.

अनुच्छेद: 50-
बलूचिस्तान मे बिना लाईसेंस के हथियार रखना तथा निजी सेना प्रतिबंधित होगी.

अनुच्छेद: 51-
विदेशी शक्तियों द्वारा बलूचिस्तान पर अवैध कब्जे के परिणामस्वरूप एक विभाजित समाज निर्मित गया है, जिसमें भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं, धार्मिक कट्टरवाद और असहिष्णुता, अकाल, बीमारी, महामारी का दुरुपयोग हो रहा है. सरकार कई उपयुक्त स्वतंत्र समितियों का गठन करेगी जिससे गंभीर रूप से टूटे हुए समाज को बहाल करने और पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिए तथा बलूचिस्तान की आर्थिक और सामाजिक असमानता को मिटाया जा सके. ये समितियाँ विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच मध्यस्तता करेंगी ताकि उनकी आर्थिक भलाई और सामाजिक सामंजस्य को सुधारा जा सके. निर्णायक प्रक्रिया में सभी सामाजिक समूहों के सशक्तिकरण का हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि वे समग्र रूप से समाज के सामान्य भलाई के लिए कार्यरत हो सके.

भाग VIII

संप्रभुता संपन्न - बलूचिस्तान

अनुच्छेद: 52-
बलूचिस्तान का विभाजन कई हिस्सों में ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से है, बलूच मुक्ति संघर्ष का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान के विभाजित प्रदेशों को एक देश में फिर से संगठित कर तथा राष्ट्रीय बलूच देश को पूर्ण संप्रभुता प्रदान करना है.

अनुच्छेद: 53-
बलूचिस्तान राज्य शासन का मुख्य कर्तव्य और कार्य की वह बाहरी आक्रमण से देश को बचाए, आंतरिक कानून और व्यवस्था के रखरखाव करे, न्यायपालिका के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करे, कल्याण सेवाओं के प्रावधान लाए तथा विदेशी संबंधों को बनाए रखने व संरक्षण करे.

अनुच्छेद: 54-
बलूचिस्तान में वर्तमान में एक व्यवहार्य और व्यावहारिक सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा नहीं है. इस खराब बुनियादी ढाँचे का कारण दशकों से अवैध कब्जे और निवेश की कमी तथा शोषण है. बलूचिस्तान सरकार की एक ज्वलंत जिम्मेदारी होगी की वह एक पर्यावरणीय रूप से कुशल बुनियादी ढाँचे की योजना, विकास, प्रबंधन, समर्थन और संवर्धन करे. सरकार की यह ज़िम्मेदारी होगी की वह एक काम करने योग्य बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने के साथ ही उसे नियंत्रित और संयोजित भी करेगी. इस बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण घटक से संचार, परिवहन और भंडारण, ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति, विद्युतीकरण और विद्युत ग्रिड, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सेवाएं नागरिकों का अधिकार होगा. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी संस्थानों में नियमित निवेश भी वह गतिविधियों हैं जो इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए. इन जमीनी स्तर के

सुधारों से आर्थिक विकास के स्थायी स्तरों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संसाधनों के प्रभावी विकास का बढ़ावा सुनिश्चित किया जाएगा. बलूचिस्तान की सफल और स्थायी अर्थव्यवस्था व नागरिक समाज अंततः अपने परस्पर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा.

अनुच्छेद: 55-
बलूचिस्तान में सभी नागरिक किसी भी हिस्से में जाकर उद्यम या काम करने के लिए स्वतंत्र हैं. किसी को भी यात्रा के उनके अधिकार, पेशे की पसंद, काम करने की जगह और श्रम और रोजगार के क़ानून के अधिकार के संबंध में उनके साथ कम व्यवहार या भेदभाव नहीं किया जाएगा.

अनुच्छेद: 56-
बलूचिस्तान में सभी प्राकृतिक संसाधनों पे पहला हक वहीं के लोगों का है. इन संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण बलूचिस्तान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा. उनका उपयोग बलूचिस्तान के कल्याण के लिए होगा। किसी अन्य देश या राष्ट्र को इन संसाधनों का अपने लाभ और हित के लिए दोहन करने का अधिकार नहीं होगा.

अनुच्छेद: 57-
बलूचिस्तान से निकाले गए सभी प्राकृतिक संसाधनों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजार मूल्यों द्वारा निर्देशित किए जाएंगे.

अनुच्छेद: 58-
बलूचिस्तान सरकार सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक प्रणाली और एक कल्याणकारी प्रणाली शुरू करने के लिए जिम्मेदार होगी जिनमे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, कल्याण सेवाएं और बीमारी और बेरोजगारी लाभ शामिल होंगे.

अनुच्छेद: 59-
स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य बलूचिस्तान में सभी कमजोर और भेद्य सामाजिक समूहों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, इन समूहों मे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और सभी विकलांग व्यक्ति शामिल हैं. प्रशासन इन सामाजिक समूहों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा जिससे वे बाकी नागरिकों की तरह समान अधिकारों और अवसरों का आनंद ले सकें.

अनुच्छेद: 60-
बलूचिस्तान सरकार की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक होगा की वह सार्वजनिक वस्तुओं का कुशल और पर्याप्त प्रावधान तथा भंडारण करे. इन सामानों के प्रावधान व नियम खुले और पारदर्शी तरीके के होंगे. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान में सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

अनुच्छेद: 61-
बलूचिस्तान स्वतंत्र राज्य पिछले दशकों में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ सभी पक्षों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए एक खुली और स्वतंत्र अदालत स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा. जिन लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उन्हें न्याय के लिए लाया जाएगा और इन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा.

अनुच्छेद: 62-
बलूचिस्तान स्वतंत्र राज्य अपने पूर्व मे कब्जे करने वाले राज्यों से अपने प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के मुआवजे की मांग करेगा.

अनुच्छेद: 63-
स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बलूचिस्तान राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व शांति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए कर्तव्यपरायणता से काम करेगा. बलूचिस्तान विश्व शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से काम करेगा. बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संहिताओं को बनाए रखने में दृढ़ता से विश्वास करता है और अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहने, उनके अधिकारों का सम्मान करने और पारस्परिक हित और आर्थिक समृद्धि की खोज में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा.

अनुच्छेद: 64-
बलूचिस्तान राज्य मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वालों के निकटतम परिवारिक सदस्यों की मदद करने के लिए एक सहयता कोष स्थापित करेगा.

भाग IX

समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण

अनुच्छेद: 65-
बलूचिस्तान की राष्ट्र भाषा बलूचि तथा ब्रहुई होगी. अंतराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए संचार का माध्यम अँग्रेज़ी भाषा द्वितीय आधिकारिक भाषा होगी.

अनुच्छेद: 66-
बलूचिस्तान एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी जो निजी सार्वजनिक और स्वैच्छिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बलूचिस्तान के नागरिकों की भलाई के लिए देश के क़ानून के अनुसार और उसके अंतर्गत काम करेगी.

अनुच्छेद: 67-
बलूच मुक्ति संग्राम का स्तुति गान '' मां छोखेण बालोचनी'' है. संप्रभु बलूचिस्तान के राष्ट्रगान को अंतरिम सरकार या पहली निर्वाचित राष्ट्रीय संसद द्वारा चुना और अनुमोदित किया जाएगा.

अनुच्छेद: 68-
बलूच मुक्ति संघर्ष का झंडा जिसे सर्वसम्मति से अपनाया गया है उसमे ३ हिस्से है, ध्वज स्तंभ के निकट त्रिकोण नीले रंग मे काली लकीरों के मध्य मे गोलाई के बीच सफेद सितारा अंकित है. नीले रंग के पश्चात किनारे तक उपरी हिस्सा हरे रंग का तथा निचला हिस्सा लाल रंग का है अंतिम भाग चौकोर है. संप्रभु बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बलूचिस्तान राष्ट्रीय संसद द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात तय किया जाएगा.

अनुच्छेद: 69-
स्वतंत्र बलूचिस्तान की वैध ऐतिहासिक और भूराजनीतिक सीमायें पूर्व मे अंतिम शासक मीर नसीर ख़ान जी के राज्य की सीमाओं के अनुरूप ही रहेगी.

अनुच्छेद: 70-

१३ नवंबर की तिथि को हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया उनकी याद मे मनाया जाएगा. आक्रमणकारी अँग्रेज़ी सेना के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए १३ नवंबर १८३९ को मीर मेहराब ख़ान जी तथा उनके अनेक सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था.

अनुच्छेद: 71-
कोई भी समाज अन्य जीवित प्राणियों के अधिकारों और कल्याण पर ध्यान और सम्मान दिए बिना मानवीय और सभ्य तरीके से कार्य नही कर सकती. स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बलूचिस्तान सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्राणियों को अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार समझौतों के अनुसार संरक्षित किया जाएगा.

अनुच्छेद: 72-
धरती माता की सुरक्षा के बिना मानव प्रजाति या सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. बलूचिस्तान के राज्य और नागरिक अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सम्मान और देखभाल करने की पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे.

अनुच्छेद: 73-
बलूचिस्तान में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सभी परमाणु गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा. बलूचिस्तान में बलूच लोगों की मर्जी के बिना और उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के रस्कोह रेंज और चागी जिले में किया गया था. बलूचिस्तान में इन क्षेत्रों के लोगों और पर्यावरण पर इन परमाणु परीक्षणों के द्वारा हुए दुष्प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र जांच करवाने का अनुरोध किया जाएगा. रेडियो विषाक्तता से दूषित क्षेत्रों को साफ किया जाएगा और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पर्यावरण और विकिरण के प्रभाव को जांचने के लिए स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था स्थापित की जाएगी. बलूच लोगों के खिलाफ इस अपराध के लिए जिम्मेदार राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और न्याय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के माध्यम से न्याय तथा मुआवज़े की मांग की जाएगी.

अनुच्छेद: 74-
बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने मे मददगार समूह इसके अभिन्न अंग होंगे तथा उन्हे देश के नवनिर्माण के लिए आवश्यक प्रहरी और गतिशील बलों के रूप में मान्यता दी जाएगी. लोकतांत्रिक बलूचिस्तान विविधता को पहचानता है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा.

अनुच्छेद: 75-
कोई भी समाज या राष्ट्र अपने मेहनती और कर्मठ नागरिकों के बिना उन्नति नहीं कर सकता है. स्वतंत्र बलूचिस्तान मे आचारसंहिता को बलूच संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख शक्ति के रूप में अपनाया जाएगा. यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा.

भाग X

अंतरिम संविधान

अनुच्छेद: 76-
इस घोषणापत्र के लागू होने के पश्चात बलूचिस्तान के अंतरिम संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा.बलूचिस्तान के संविधान मे इस घोषणापत्र में परिकल्पित बलूच लोगों के मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को शामिल किया जाएगा. अंतरिम संविधान एक आधुनिक लोकतांत्रिक

राज्य और बलूचिस्तान के अद्वितीय इतिहास, संस्कृति, परिस्थिति और आवश्यकताओं के लिए प्रगतिशील तत्वों को एकीकृत करेगा.

अनुच्छेद: 77-
अंतरिम संविधान के प्रभावी क्रियांवान के लिए इसे बलूचिस्तान राष्ट्रीय संसद (बलूचिस्तान मजनीन दीवान) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

प्रबुद्ध विनयशीलता और विनम्रता हमारी मार्गदर्शिका है. नतीजतन, यह दस्तावेज़ अंतिम ज्ञान का दावा नहीं करता है।

यह हर समय और सभी स्थानों के लिए एक सार्वभौमिक निर्देश और पर्चे नहीं है।

यह बलूच लोगों के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपने अतुलनीय लोकतांत्रिक अधिकारों को हासिल करने के लिए एक योजना और मार्गदर्शिका मात्र है।